छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर

क्रमांक 674/प्र.स./स्कू.शि./2019 अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल, 2019

प्रति,

1. संचालक,
   लोक शिक्षण, संचालनालय
   इन्द्रावती भवन, रायपुर ।
2. प्रबंध संचालक
   समग्र शिक्षा,
   पेंशन बाड़ा रायपुर ।
3. संचालक
   राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
   छत्तीसगढ़, रायपुर ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़ ।

विषयः—राज्य स्तरीय आकलन के संबंध में ।

संदर्भः—एस.एल.ए. दिशा निर्देश दिनांक 5.3.2019 एवं 19.03.2019 ।

——0——

दिनांक 15.04.2019 को एस.एल.ए. की प्रगति की समीक्षा की गई । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अल्प समय में कराये जाने के लिए विभाग के समस्त शिक्षक गण एवं प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं । निर्धारित समय सीमा अनुसार परीक्षाओं का कार्य सम्पन्न हुआ है और आने वाले लगभग एक माह की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच तथा संबंधित जानकारी की डाटा प्रविष्टि कर राज्य स्तर पर समेकित विश्लेषण का कार्य किया जाना है ।

A. उपरोक्त संदर्भित पत्रों में इन कार्यों हेतु समय—सारिणी तथा उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण दिया गया है । दिनांक 15.04.2019 की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः—

(1) लगभग दो करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है । अतः संकुल केन्द्रों में मूल्यांकन कार्य हेतु समुचित संख्या में शिक्षक गण की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि नियत तिथि तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जा सके । चूँकि इस मूल्यांकन के ही आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी हेतु शैक्षणिक योजना तैयार किया जाना है, इसलिए मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी से किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

(कार्यवाही समस्त जिला शिक्षा अधिकारी) 18.4.19.

(2) प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न के आधार पर लर्निंग आउटकम्स की जानकारी एकत्रित की जानी है । इस लिए डाटा प्रविष्टि हेतु निर्धारित प्रक्रिया की समुचित जानकारी सभी संबंधितों को दिया जाना आवश्यक है । इस हेतु समस्त विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध विडिओ कान्फ्रेसिंग सुविधा का उपयोग करते हुए राज्य के समस्त संकुल प्रभारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए । चूँकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिनांक 23.04.2019 को मतदान है, अतः यह प्रशिक्षण दिनांक 25.04.2019 को किये जाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आवश्यक समन्वय किया जाए । इस प्रशिक्षण में समस्त डी.ई.ओ., बी.ई.ओ. और सी.ए.सी. की उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपरोक्त के अतिरिक्त यदि स्थानीय स्तर पर किन्हीं अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना है तो उसका निर्णय स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाए ।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी)

(3) कुछ परीक्षाओं में स्थानीय स्तर पर प्रश्न पत्रों में कतिपय त्रुटियॉ हुई हैं । इस प्रकार की समस्त परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न पत्रों का परीक्षण कर लिया जाए और आवश्यकता अनुसार संबंधित जिले के शिक्षकों को मूल्यांकन प्लान तथा बोनस अंक के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2019 से पूर्व आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जाएं ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.)

(4) एन.आई.सी.द्वारा डाटा प्रविष्टि के लिये एस.एल.ए. मोबाईल एप तैयार किया गया है । मूल्यांकन एवं डाटा प्रविष्टि हेतु नियोजित समस्त अधिकारियों / शिक्षकों द्वारा यह एप दिनांक 25 अप्रैल, 2019 से पूर्व डाउनलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए । उन्हें यह भी निर्देशित किया जाए कि समय–समय पर एप को अपडेट भी करें, ताकि उनके मोबाईल पर सदा एप का अद्यतन वर्जन उपलब्ध रहे । इसके साथ ही यदि कहीं संकुल प्रभारी / सी.ए.सी. की जानकारी का अद्यतीकरण किया जाना हो तो यह कार्य भी दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए ।

(कार्यवाही एन.आई.सी. / एस.सी.ई.आर.टी. / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी)

(5) दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के प्रशिक्षण के समय के संबंध में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा सूचना जारी की जायेगी ।

(6) दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के प्रशिक्षण के उपरान्त मूल्यांकन तथा डाटा प्रविष्टि का कार्य समानान्तर रूप से किया जाए ताकि डाटा प्रविष्टि के समय नेटवर्क तथा साफ्टवेयर पर अत्यधिक भार नहीं आए ।

(7) उक्त कार्य के सुचारू संपादन हेतु जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर निगरानी दल का गठन किया जाए। यह दल प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे जिला शिक्षा अधिकारी को मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएँगे एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिदिवस संध्या 5.00 बजे एस.सी.ई.आर.टी. को SLA समूह (Whatsapp Group) व 7583837703 सहायक नोडल SLA को सूचित करेंगे।

18.4.19

(8) मूल्यांकन कार्य हेतु DMC से समन्वय स्थापित करते हुए District Programmer एवं अन्य संलग्न तकनीकी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करें । सम्पूर्ण कार्य हेतु जिला कार्यालय में सहायक संचालक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाते हुए एक सहायता दल का गठन करें जो डाटा अपलोड करने में आने वाली कठिनाईयों का समुचित समाधान करे, ताकि डाटा uploading का कार्य निर्बाध संपन्न हो सके। (कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी)

दिनांक 25.04.2019 के उपरान्त प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे तक विगत दिवस किये गये मूल्यांकन तथा डाटा प्रविष्टि की जानकारी प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.)

(9) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा डाटा प्रविष्टि के कार्य में संलग्न सभी शिक्षक गण को नियमानुसार अनुपातिक अर्जित अवकाश की पात्रता होगी । इस हेतु संचालक, लोक शिक्षण द्वारा विभाग को औपचारिक आदेश का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही संचालक, लोक शिक्षण)

B. मूल्यांकन एवं डाटा प्रविष्टि का कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त यह आवश्यक है कि डाटा का विश्लेषण किया जाए क्योंकि इसी के आधार पर राज्य/जिला/शाला स्तर का प्रतिवेदन तैयार होगा और यही जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी के लिये विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने में सहायक होगी । इस हेतु विभिन्न एजेन्सियों से सम्पर्क किया जाए ताकि आगामी दो सप्ताह के भीतर एजेन्सी का चयन किया जा सके । इस हेतु एन.आई.सी., के.पी.एम.जी., ए.सी.ई.आर. तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रही विशेषज्ञ एन.जी.ओ.से भी सम्पर्क किया जा सकता है । दिनांक 10 मई 2019 तक इस संबंध में विभाग के समक्ष प्रस्ताव /अनुशंसा प्रस्तुत की जाए ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.)

(1) इस वर्ष कराये गये आकलन में अर्जित जानकारी के आधार पर आगामी एस.एल.ए. में प्रक्रियात्मक सुधार के संबंध में पृथक से प्रस्ताव तैयार किया जाए जिस पर एस.एल.ए. सम्पन्न होने के उपरान्त चर्चा की जायेगी ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.)

(2) एस.एल.ए. से प्राप्त जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर समस्त शिक्षक गण के लिये तैयार की गई ऑनलाईन प्रशिक्षण सिस्टम का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता तथा शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी./एन.आई.सी)

(3) डाटा के विश्लेषण के उपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शैक्षणिक कार्य योजना से अभिप्राय यह है कि जिन विषयों में विद्यार्थी द्वारा लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं किये जा सके हैं, उनके लिये ग्रीष्म अवकाश की अवधि में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को समान स्तर पर लाया जा सके । इस हेतु विभिन्न स्तरों से

18.4.19

उपलब्ध ऑनलाइन शिक्षक सामग्री का भरपूर उपयोग किया जाए । साथ ही कक्षा में अभ्यास की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(4) एस.एल.ए. के सफलता पूर्वक संचालन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया का उपयोग सी.सी.ई. तथा **summative** आकलन के लिये भी किया जा सकता है । इस हेतु पृथक से चर्चा आयोजित की जाए और विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.)

(गौरव द्विवेदी)
प्रमुख सचिव 18.4.2019
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 674/प्र.स./स्कू.शि./2019 अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ।
3. श्री सोमशेखर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. मंत्रालय ।
4. समस्त प्राचार्य, डाईट, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 18.4.19
स्कूल शिक्षा विभाग